राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 25(8)मंमं/2015 जयपुर, दिनांकः 26/8/2016

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।

विषयः–अन्तर्राष्ट्रीय टैगोर अवार्ड–2016 दिये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन एंव संस्कृति मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त D.O. No.- 16-4/2016/ GHSM dated: 26.07.2016 की प्रति मय मानक एवं निर्देशों की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक सद्भाव के लिये **"अन्तर्राष्ट्रीय टैगोर अवार्ड–2016" हेतु प्रस्ताव दिनांक 31.08.2016 तक** आमंत्रित किये गये हैं। ऐसे व्यक्ति/संस्था जिन्होंने सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाने देने हेतु उत्कृष्ठ योगदान दिया है, इस पुरस्कार के पात्र होंगे।

अतः इस संबंध में निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति/संस्था जिन्होंने "सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाने में विशिष्ट योगदान दिया है, के प्रस्ताव **"अन्तर्राष्ट्रीय टैगोर अवार्ड–2016" हेतु सीधे ही दिनांक 31.08.2016 तक श्री पंकज राग, संयुक्त सचिव एवं पूर्व कार्यालय सचिव, गांधी हैरिटेज साईट्स मिशन, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली** को भिजवाते हुये इस सचिवालय को भी अवगत कराने का श्रम करावें ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हरी बाबू शर्मा)
सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन एंव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके D.O. No.- 16-4/2016/8 GHSM dated: 26.07.2016 कम में ।
2. प्रमुख विशेषाधिकारी,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके पत्र क्रमांकः Pr.OSD /CM/Raj./ GAD//16/102748 dated 19-8-2016 के कम में।

सलाहकार

58

डा महेश शर्मा
Dr Mahesh Sharma

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
संस्कृति एवं पर्यटन
भारत सरकार
Minister of State (Independent Charge)
for Culture &Tourism
Government of India

102748
19/08/2016

D.O. No. 16-4/2016-GHSM
Dated:-26/07/2016

Respected Sir,

Rabindranath Tagore was an icon of Indian Culture. He was a poet, an author, a philosopher, a composer, a superb visual artist and an educationist. Above all, he was a philanthropist who through his writings and creations emphasized the unity of mankind. Tagore became the first Asian to be awarded the Nobel Prize in Literature for the collection of poems 'Gitanjali' in 1913.

Recognising the contributions made by Tagore to humanity at large and as part of the commemoration of his 150th Birth Anniversary, Government of India has instituted the "Tagore International Award for Cultural Harmony" from the year 2012 for promoting values of Cultural Harmony. It is awarded annually and carries an amount equivalent to Indian Rupees One Crore (convertible to foreign currency), a citation in a scroll, a plaque as well as an exquisite traditional handicraft/handloom item. The Awardee(s) for every year is/are selected by the eminent Jury chaired by the Prime Minister of India.

This annual award is given to individuals, associations, institutions or organizations for their outstanding contribution towards promoting values of Cultural Harmony. The Award is open to all persons regardless of nationality, race, language, caste, creed or gender. Normally, contributions made during ten years immediately preceding the nomination are considered. Older contributions may also be considered if their significance has become apparent only recently. A written work in order to be eligible for consideration should have been published during the last ten years.

Government of India conferred the First International Tagore Award for Cultural Harmony (2012) on the late Pandit Ravi Shankar, the Indian Sitar Maestro. The Second Tagore Award (20 13) has been conferred on Shri Zubin Mehta.

I request your kind support in helping us in the process of identification of the Awardee for the year 2016. The nominations are to be made in accordance with the provisions of the Code of Procedure, a copy of which is enclosed. The Code is also available on the Ministry of Culture, Government of India's web-site: www.indiaculture.nic.in. I shall be grateful if you could spare some time from your busy schedule and send us your recommendations by 31st August 2016.

Contd..2/-

501, 'C' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi-110001, Tel : 011-23386765, 23381539 Fax : 011-23385115, E-mail : officemoc@gmail.com
Camp Office : H-33, Sector 27, NOIDA-201301, Telephone : 0120-2444444, 2466666, Fax : 0120-2544488
E-mail : dr.mahesh@sansad nic.in

A proforma for the purpose is enclosed. If required, additional sheets of paper may be used to give details of work and achievements.

Queries if any, may please be sent by email to:

Mr. Pankaj Rag, Joint Secretary and ex-officio Secretary,
Gandhi Heritage Sites Mission, Ministry of Culture (ragp@ias. nic.in)
Tele fax No. 011 -23382907: Telephone No. 011-23381198

I look forward to hearing from you,

With regards,

Yours sincerely,

(Dr. Mahesh Sharma)

Smt. Vasundhara Raje Scindia,
Chief Minister of Rajasthan,
Chief Minister's Office,
Rajasthan (Sardarpura),
Jaipur – 302005.

- Pr. Secy., GAD
- Secy. to Govt., Art. & Culture
- SCM
- JS (PC) / OSD (S)
- OSD (G)

19/08/2016

PROFORMA FOR NOMINATION OF ORGANISATIONS/INSTITUTIONS FOR "TAGORE INTERNATIONAL AWARD FOR CULTURAL HARMONY"

1. Name of organisation/institution :

2. Year of Establishment :

3. Headquarters :

4. Contact Details :

   Address :

   Phone No :

   Email address :

5. Work & Achievements :
   detailed citation describing the achievements which justifies the grant of Award. (attach additional sheets if required)

Nominated by

Name :

Contact Details :

Postal Address :

Phone numbers :

e-mail address :

PROFORMA FOR NOMINATION OF INDIVIDUALS FOR "TAGORE INTERNATIONAL AWARD FOR CULTURAL HARMONY"

1. Name :

2. Age :

3. Nationality :

4. Contact Details :

   Address :

   Phone No :

   Email address :

5. Positions held :

6. Distinctions :

7. Work & Achievements :
   detailed citation describing the achievements which justifies the grant of Award. (attach additional sheets if required)

Nominated by

Name :

Contact Details :

Postal Address :

Phone numbers :

e-mail address :

अध्याय 1

पुरस्कार संबंधी विवरण

1. यह पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव के मूल्यों के संवर्धन के लिए दिया जाएगा।
2. प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार दिया जाएगा जिसमें पुरस्कार स्वरूप एक करोड़ रुपए की राशि (विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय), स्क्रॉल में एक प्रशस्ति-पत्र, पट्टिका व आकर्षक पारंपरिक हस्तशिल्प/हथकरघा वस्तु दी जाएगी।
3. पुरस्कार ऐसे दो व्यक्तियों/संस्थाओं में बाँटा जा सकता है जिन्हें जूरी विशिष्ट वर्ष में समान रूप से सम्मान प्राप्त करने का हकदार समझती है।
4. उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य पर पुरस्कार देने के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिसका निधन हो गया है। लेकिन इस प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार जूरी को प्रस्ताव भेजे जाने के उपरान्त यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मरणोपरान्त पुरस्कार दिया जा सकता है।

अध्याय 2

पुरस्कार के लिए पात्रता

1. इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं, चाहे वे किसी भी राष्ट्र, प्रजाति, भाषा, जाति, धर्म अथवा लिंग से संबंध रखने वाले हों।

2. संघ, संस्था अथवा संगठन भी पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

3. पुरस्कार प्राप्त करने हेतु विचारार्थ पात्र होने के लिए सामान्यतः यह अनिवार्य होगा कि उस व्यक्ति की संस्तुति इस संहिता के अध्याय 4 के अनुसार इसके लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में की गई हो।

4. पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय 3

पुरस्कार की अवधि

1. पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। इसे वर्ष 2012 से प्रारंभ किया जाएगा तथा इसके पश्चात् यह प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा।

2. तथापि, यदि यह समझा जाए कि दिए गए प्रस्तावों में से कोई भी प्रस्ताव सम्मान के योग्य नहीं है तो जूरी उस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान न किए जाने के लिए स्वतंत्र होगी।

3. पुरस्कार के लिए केवल हाल के कार्य पर विचार किया जाएगा, जो नामांकन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के अन्दर सम्पन्न किया गया हो।

4. पूर्ववर्ती खंड के बावजूद, इस अवधि से पहले के कार्य पर भी विचार किया जा सकता है यदि उस कार्य की महत्ता हाल ही में प्रकाश में आयी हो।

अध्याय 4

प्रस्ताव भेजने की सक्षमता

1. पुरस्कार के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए निम्नलिखित को सक्षम माना जाएगा –

   (क) पिछले पाँच वर्षों के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता;

   (ख) केंद्रीय सरकार की मंत्री परिषद्;

   (ग) मंत्री परिषद को छोड़कर भारत के संसद सदस्य;

   (घ) महासचिव, संयुक्त राष्ट्र/राष्ट्रमंडल/राष्ट्रमंडल संसदीय संघ/अंतर-संसदीय संघ/ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा संस्थाएं जिनका उद्देश्य सांस्कृतिक सद्भाव का संवर्धन करना है;

   (ङ) विदेश स्थित भारतीय मिशन प्रमुख जो मुख्य संबद्ध संस्थानों तथा संबद्ध देश के विशेषज्ञों के समक्ष इसे ध्यान में लाते हैं अथवा परामर्श करते हैं;

   (च) लोक सभा/राज्य विधान सभाओं/विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी;

   (छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के राज्यपाल/मुख्यमंत्री;

   (ज) पिछले पाँच वर्षों के गांधी शांति पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्तकर्ता;

   (झ) पिछले पाँच वर्षों के भारत रत्न प्राप्तकर्ता;

(ञ) पिछले पाँच वर्षों के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता;

(ट) कोई अन्य व्यक्ति जिसे जूरी प्रस्ताव भेजने के लिए कहना चाहे।

(ठ) वे व्यक्ति, जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है।

2. साधारणतया, नामांकन के लिए आमंत्रित सक्षम व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा। तथापि, कोई भी प्रस्ताव मात्र इस आधार पर जूरी के विचारार्थ अवैध नहीं होगा कि वह खण्ड 1 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारियों से नहीं आया है। जूरी स्वप्रेरणा से भी किसी व्यक्ति एवं संस्था को नामित कर सकती है। इन सभी मामलों में जूरी का निर्णय अंतिम होगा।

3. विचारार्थ प्रस्तावों के साथ एक विस्तृत आलेख भेजा जाना चाहिए।

अध्याय 5

प्रस्ताव आमंत्रित करना व प्रस्ताव प्रस्तुत करना

1. प्रत्येक वर्ष सचिवालय पिछले वर्ष के पुरस्कार की घोषणा के पश्चात यानि कि जून माह में पत्र जारी करेगा।

2. विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों/विदेशों में भारतीय दूतावासों को निमंत्रण, विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजा जाएगा।

3. निर्णायक मंडल उन प्रस्तावों पर विचार करेगा जो भारत सरकार, संस्कृति मत्रांलय के कार्यालय में वर्ष के 31 अगस्त तक प्राप्त हो गए हों, जिनके लिए पुरस्कार दिया जाना है, बशर्ते कि अध्यक्ष का यह मत न हो कि ऐसी अवधि को सामान्यतया या प्रस्ताव विशेष के संदर्भ में बढ़ाया जाना चहिए।

4. सचिवालय, प्राप्त नामांकनों की जाँच करेगा और स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांगेगा और पुस्तिका रूप में प्रत्येक नामिती की रूपरेखा तैयार करेगा तथा जूरी की बैठक आयोजित करने के लिए इसे आगामी वर्ष की 31 जनवरी तक जूरी के अध्यक्ष को भेजेगा।

अध्याय 6

प्रस्तावों का मूल्यांकन

1. ऐसी किसी भी कृति को पुरस्कार के योग्य तभी समझा जाएगा जब जूरी के विचार से उसे विशेषतः विवाद या अतिविषम परिस्थितियों में अभिनव तरीकों/कार्यनीतियों के ज़रिए सद्भावना व सार्वभौमिकवाद तथा सांस्कृतिक सद्भाव के मूल्यों का सम्पोषण करने में उत्कृष्ट उपलब्धि का श्रेय प्राप्त हो।
2. यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने सांस्कृतिक सद्भाव के लिए निःस्वार्थभाव से कार्य किया हो चाहे वह उच्च लोक पद पर हो या न हो।
3. केवल वही लिखित कृति पुरस्कार के लिए पात्र होगी जो प्रकाशित हुई हो।
4. यदि लिखित व प्रकाशित कृति का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए जूरी यह अनिवार्य समझती है कि वह विषय-वस्तु से अवगत हो और यदि जूरी इस बात से संतुष्ट है कि विषय-वस्तु का अंग्रेजी अथवा हिंदी में अनुवाद करने का कार्य बहुत ही श्रम-साध्य और खर्चीले स्वरूप का है तो जूरी उस प्रस्ताव पर आगे और विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

72

अध्याय 7

जूरी और चयन

1. पुरस्कार संबंधी अपेक्षित संवीक्षा और अंतिम चयन भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त की गई जूरी द्वारा किया जाएगा।

2. जूरी में पांच सदस्य होंगे अर्थात् भारत के प्रधान मंत्री जो जूरी के अध्यक्ष होंगे; भारत के मुख्य न्यायाधीश; लोक सभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता अथवा जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, तो उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता; और जूरी के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले दो अन्य प्रख्यात व्यक्ति।

3. जूरी के सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। तीन स्थायी पदेन सदस्यों को छोड़ कर चयनित सदस्य तीन वर्ष पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

4. यदि जूरी का कोई सदस्य अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही सेवानिवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शेष कार्यकाल के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा।

5. जूरी केवल तभी अंतिम निर्णय लेने में सक्षम होगी जब

प्रधानमंत्री सहित उसके कम से कम तीन सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे।

6. जूरी का निर्णय मतैक्य से होगा।

7. पुरस्कार से संबंधित जूरी की चर्चाओं, परिचर्चाओं अभिमतों और कार्यवाही को न तो सार्वजनिक तौर से बताया जाएगा और न ही उनका खुलासा किया जाएगा।

8. जहाँ तक संभव होगा जूरी अपने निर्णय की उद्घोषणा दिनांक 7 मई को रबीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर करेगी। जूरी के निर्णयों की पुष्टि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी और उनके विरुद्ध कोई अपील अथवा आपत्ति नहीं की जा सकती। इसकी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।

अध्याय 8

पुरस्कार वितरण

1. पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा।

2. पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और यदि संभव हो, तो उससे उस कार्य से संबंधित एक सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है।

3. प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्क्राल में प्रशस्ति पत्र, पट्टिका व आकर्षक पारंपरिक हस्तशिल्प/हथकरघा वस्तु भी प्रदान की जाएगी।

4. पुरस्कार राशि का भुगतान संस्कृति मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार समय व स्थान पर किया जाएगा।

5. यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार लेने से इंकार करता है तो वह राशि तत्काल भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी। लेकिन, यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार स्वीकार करता है लेकिन 36 माह की अवधि के भीतर उस राशि को आहरित करने में विफल रहता है तो वह राशि भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी।

6. बिना पुरस्कार प्राप्त किए पुरस्कार प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर उनके परिजन पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार होंगे।

अध्याय 9

सामान्य

1. जूरी का कोई भी सदस्य संहिता में संशोधन का प्रस्ताव करने में सक्षम होगा। अस्थाई तौर पर जूरी के सदस्य यह निर्णय लेंगे कि ऐसा परिवर्तन किया जाए अथवा नहीं, लेकिन ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन को संहिता में तब तक समाविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक भारत सरकार की सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती।

2. जूरी के पूर्व परामर्श से संहिता में परिवर्तन करने का अधिकार भारत सरकार को भी होगा।

3 पुरस्कार हेतु आवश्यक वित्तपोषण और तत्संबंधी सभी आकस्मिक व्ययों की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

4. पुरस्कार के लिए सचिवालय की व्यवस्था सांस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाएगी।